राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः–ई–11/नर्सिंग/नर्स–2/एम–1033/19/ दिनांकः–

आदेश

श्री मोहम्मद रियाज, नर्स–2, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय,उदयपुर को दिनांक 28.09.19 से 26.10.19 (29 दिवस) विदेश भ्रमण (मक्का मदीना) साउदी अरब जाने की अनुमति निम्न शर्तो के अध्याधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है –

1. कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृत प्राप्त कर प्रस्थान करेगे।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नही किया जावेगा।
3. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
4. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकार नही की जावेगी।
5. विदेश में किसी भी राष्ट्रविरोधी/अवैधानिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होगे।

उक्त स्वीकृती प्रशासनिक विभाग की **आई.डी. कमांक 6448 दि 24.09.19** के अनुसरण मे जारी की जा रही है ।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः–ई–11/नर्सिंग/नर्स–2/एम–1033/19/752 दिनांकः– 27/09/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी.क्रमांक **6448 दिनांक 24.09.19 के कम में।**
2. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आई. डी.क्रमांक 1741 दिनांक 24.09.19 के कम में।
3. अधीक्षक, महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय,उदयपुर।
4. सबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करावे।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।